



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

{ Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.4(परावि/आप्र/डीपीसी/15/1593

जयपुर, दिनांक: 20/10/2015

::संशोधित आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला सीकर के लिए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 4 परावि/आप्र/डीपीसी/15/440 दिनांक 29.4.2015 के द्वारा जिला आयोजना समिति का गठन किया गया था। जिला आयोजना समिति सीकर के लिये शहरी क्षेत्र के पाँच और सदस्यों का निर्वाचन हुआ है। पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में एक नव निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित करते हुये जिला आयोजना समिति का पुनः निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य	निर्वाचित/नामित
1.	सुश्री अपर्णा रोलन	अध्यक्ष	-
2.	श्रीमती कल्पना यादव	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
3.	श्री कैलाश	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
4.	श्री जगदीश प्रसाद	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
5.	श्री जितेन्द्र सिंह कांरगा	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
6.	श्री ताराचन्द धायल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
7.	श्री पन्नालाल	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
8.	श्रीमती विमला देवी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
9.	श्री मनीष महला	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
10.	श्रीमती भमता सिंह	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
11.	डॉ० श्री मोन्टू सिंह कृष्णियां	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
12.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
13.	श्रीमती सम्मत बाई	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
14.	श्रीमती सरोज देवी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
15.	श्रीमती सुनिता सैनी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध(ग्रामीण क्षेत्र)
16.	श्री सुरेश	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (ग्रामीण क्षेत्र)
17.	श्री योगेन्द्र	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
18.	श्री रविकान्त तिवाडी	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
19.	श्री जमील	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
20.	श्री मो०शाकिर	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)
21.	श्री शकिर अहमद	जिला आयोजना समिति सदस्य	निर्विरोध (शहरी क्षेत्र)

सोलंकी		
--------	--	--

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य हैं। दो सदस्यों (माननीय लोक सभा/विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संस्था के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं।


संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला सीकर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला सीकर को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।


संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना